दूरभाष – 0612 –2266558 / 2271092
फैक्स – 0612 – 2266085

नवोदय विद्यालय समिति
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
भारत सरकार का स्वायत संस्थान

(प्रशासन अनुभाग)
(Admn. Section)

Tel. No. – 0612-2266558/2271092
Fax – 0612-2266085

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
An Autonomous Organization under
Ministry of Human Resource
Development, Deptt. Of School Education
& Literacy, Govt. of India

मि.सं. 2–30/राजभाषा/प्रशा./नविस/पटना/2014–15/ 2557 दिनांक 11.08.2014

कार्यालय आदेश

विषयः अधीनस्थ जवाहर नवोदय विद्यालयों का राजभाषा निरीक्षण के संबंध में।

उपरोक्त विषय के आलोक में संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), नविस, मुख्यालय का पत्रांक 120 दिनांक 31.07.2014 की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि विभिन्न जवाहर नवोदय विद्यालयों में पैनल निरीक्षण के दौरान उस विद्यालय का राजभाषा निरीक्षण, संलग्न प्रपत्र में कर, प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

संलग्नकः यथोक्त।

11/8/14

(मानस रंजन चक्रवर्ती)
उपायुक्त

प्रतिलिपिः
सभी अधिकारी, नविस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
भारत सरकार
बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201309
दूर. 0120.2405969,70,71,72,73 फैक्स : 0120-2405182

Navodaya Vidyalaya Samiti
Ministry of Human Resource Development
Deptt. of School Education & Literacy
Govt. of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA,Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201309
Tel. 0120-2405969,70,71,72,73 Fax : 0120-2405182
वैबसाईट/ Website : www.navodaya.nic.in. navodaya.gov.in

सं.सं. 1-8/2014-न.वि.स.(हि.प्र.)/120 दिनांक: 31 .07.2014

सेवा में

उपायुक्त
नवोदय विद्यालय समिति
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: अधीनस्थ जवाहर नवोदय विद्यालयों का राजभाषा निरीक्षण

महोदय/महोदया,

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालयों के राजभाषा निरीक्षण के दौरान देखा गया है कि न.वि.स., क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उनके अधीनस्थ जवाहर नवोदय विद्यालयों का नियमित रूप से राजभाषा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में समिति द्वारा समय-समय पर निदेश जारी किए हैं और विद्यालयों के पैनल निरीक्षण के दौरान राजभाषा निरीक्षण अवश्य करने के दिशानिर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय का राजभाषा निरीक्षण किया जाए। यदि पैनल निरीक्षण किया जाता है तो इसके साथ राजभाषा निरीक्षण भी किया जाए। इसके अलावा यदि क्षेत्रीय कार्यालय का कोई अधिकारी किसी भी कारणवश अधीनस्थ जवाहर नवोदय विद्यालय का दौरा करता है तो उसके द्वारा भी यह निरीक्षण किया जा सकता है। वर्ष में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम एक राजभाषा निरीक्षण करने की जवाबदेही क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त/प्रभारी उपायुक्त और पैनल निरीक्षण करने वाले अधिकारी की होगी।

राजभाषा निरीक्षण संलग्न प्रपत्र के अनुसार किया जाए और निरीक्षण के दौरान सुनिश्चित करें कि विद्यालय में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों पर यूनिकोड सक्रिय है और सभी कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने की सुविधा है। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अभिलेखों की भी जांच की जाए :-

1. विद्यालय की पिछली तिमाही प्रगति रिपोर्ट।
2. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक का कार्यवृत्त।
3. पिछले निरीक्षण की रिपोर्ट (यदि हो) ।
4. हिंदी प्रशिक्षण रोस्टर
5. धारा 3 (3) के अधीन जारी कागजातों का रिकार्ड।
6. हिंदी और अंग्रेजी पत्रों का आवक तथा जावक रजिस्टर।
7. रबड़ की मुहरें, पत्र शीर्ष, फार्म, लेखन सामग्रियाँ आदि के नमूने।
8. हिंदी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की रिपोर्ट।
9. हिंदी पुस्तकों और विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का रिकोर्ड
10. उपस्थिति रजिस्टर, अन्य रजिस्टर आदि।

निरीक्षण अधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर निरीक्षण रिपोर्ट उपायुक्त को प्रस्तुत की जानी चाहिए और निरीक्षण के दो सप्ताह के अंदर निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट संबंधित विद्यालय में प्रेषित की जानी चाहिए और विद्यालय को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि समीक्षा रिपोर्ट की अनुपालनात्मक रिपोर्ट एक माह के अंदर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजें।

भवदीय

(एम.एस.खन्ना)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:- वेबमास्टर, न.वि.स. - कृपया इसे न.वि.स., मुख्यालय की वेबसाइट पर डालें।

नवोदय विद्यालय समिति

राजभाषा निरीक्षण प्रपत्र

(क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरीक्षण हेतु)

जवाहर नवोदय विद्यालय-----------------------

निरीक्षण की तिथि -----------------------

(सभी आंकड़े 30 अप्रेल, 30 जून, 30 सितम्बर व 31 दिसम्बर को समाप्त तिमाही के आधार पर दिए जाए)

1 (क)	क्या विद्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है ?	
(ख)	यदि हां, तो उसकी बैठकें नियमित रूप से होती हैं ?	
(ग)	पिछली बैठक की तिथि ?	
(घ)	क्या बैठक की कार्यवाही लिपिबद्ध की जाती है ?	
2 (क)	क्या विद्यालय द्वारा तिमाही राजभाषा प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय भेजी जाती है ?	
(ख)	क्या इसकी समीक्षा के बाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्देश दिए गए थे ?	
3 (क)	क्या विद्यालय को राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त हुआ है ?	
(ख)	क्या इस पर आगामी राजभाषा कार्यान्वयन समिति में चर्चा की गई ?	
4 (क)	विद्यालय के अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या (समूह 'घ' के कर्मचारी को छोड़कर)	
(ख)	इनमें से कितने अधिकारी / कर्मचारी हिन्दी में काम करते हैं ?	
(ग)	हिन्दीतर भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	
5 (क)	विद्यालय में उपलब्ध कम्प्यूटर	
(ख)	कितने में हिन्दी में कार्य करने की सुविधा है ?	
(ग)	विद्यालय में उपलब्ध टाइपिंग मशीन	कुल अंग्रेजी हिन्दी
6 (क)	विद्यालय में कार्यरत लिपिक	
(ख)	हिन्दी में टाइपिंग प्रशिक्षण प्राप्त की संख्या	
(ग)	हिन्दी में काम करने वालों की संख्या	
7 (क)	क्या विद्यालय का पत्रशीर्ष(Letter Head) द्विभाषी है?	
(ख)	क्या विद्यालय के लिफाफों पर विद्यालय का विवरण हिन्दी / द्विभाषी है ?	
(ग)	क्या 'क' व 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के पतो हिन्दी में लिखे जाते हैं ?	

8 (क)	विद्यालय में प्रचलित रजिस्टरों की संख्या (केवल कार्यालय कार्य के) कितनों के शीर्षक द्विभाषी कितनों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाती हैं कितनों में प्रविष्टियां अंग्रेजी में की जाती हैं	
9	विद्यालय में उपलब्ध सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां ?	हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी
10.	विद्यालय में उपलब्ध कुल शब्दकोश	हिन्दी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा हिन्दी-अंग्रेजी
11(क)	विद्यालय द्वारा वर्ष 2009-10 में खरीदी गई पुस्तकों की राशि	
ख)	उक्त में से हिन्दी पुस्तकों की खरीद की राशि	
12	विद्यालय में प्रचलित मोहर / सील / रबर स्टैम्प की संख्या	हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी
13	विद्यालय के बोर्ड / होर्डिंग्स की संख्या	हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी
14	विद्यालय द्वारा पत्रिका का प्रकाशन किया गया है ? यदि हां तो मूल पृष्ठों की संख्या	हिन्दी अंग्रेजी क्षेत्रीय भाषा
15	मुद्रित / साइक्लॉस्टाइल्ड प्रपत्रों की संख्या	हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी
16	टाइप / मुद्रित / साइक्लोटाइल्ड निविदा / संविदा प्रपत्रों की संख्या	हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी
17	विद्यालय द्वारा प्रयुक्ति अंक सूची/ परीक्षाफल का प्रमाण-पत्र	हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी
18	विद्यालय द्वारा प्रयुक्त स्थानांतरण पत्र	हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी
19	कार्यक्रमों के लिए मुद्रित आमंत्रण-पत्रों की संख्या	हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी
20	विद्यालय द्वारा जारी कुल प्रेस विज्ञाप्ति	हिन्दी अंग्रेजी द्विभाषी
21	क्या राजभाषा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जांच बिंदु बनाये गये हैं ?	

नोटः- हिन्दी में कार्य करने के लिए किए जा रहे प्रयासो का विवरण (अलग से संलग्न करें)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

नाम

दिनांक

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम

दिनांक